

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 1253] No. 1253] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 27, 2018/चैत्र 6, 1940

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 27, 2018/CHAITRA 6, 1940

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2018

सं. 56 / 2015-2020

विषय :-आईटीसी (एचएस) 2017-अनुसूची-1 (आयात नीति) के अध्याय 08 के एक्जिम कोड 08081000 के तहत सेब की आयात नीति शर्तों में संशोधन।

का.आ. 1387(अ).—समय—समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015—2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पिठत विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस) 2017—अनुसूची—1 (आयात नीति) के अध्याय 08 के एक्जिम कोड 0808 10 00 के तहत सेबों की आयात नीति की शर्तों में निम्नलिखित संशोधन करती हैं:

| एक्जिम कोड | मद विवरण | नीति | नीति शर्तें | संशोधित नीति शर्त |
|------------|----------|-------|---|-------------------|
| 0808 10 00 | संब | मुक्त | (i) दोनो समुद्री पत्तनों तथा कोलकाता, चेन्नई, मुम्बई और कोचीन में हवाई अड्डे तथा दिल्ली में भू—पत्तन तथा हवाई अड्डे के माध्यम से आयात (ii) सेब का आयात भारत की भू—सीमाओं के माध्यम से भी अनुमत हैं। | |

1837 GI/2018 (1)

इस अधिसूचना का प्रभावः

एक्जिम कोड 08081000 के तहत शामिल मद "सेब" के आयात के लिए पत्तन प्रतिबंध को हटा दिया गया है।
[फा. सं. 01/89/180/79/एएम-99/पीसी-2/ए/ई-1863]
आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General of Foreign Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2018

No.56/2015-2020

Subject: Amendment in import policy conditions of apples under Exim code 0808 10 00 of Chapter 08 of ITC (HS), 2017 – Schedule – 1 (Import Policy).

S.O. 1387(E).— In exercise of powers conferred by Section 3 of FT (D&R) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the Import Policy Conditions of apples under Exim code 0808 10 00 of Chapter 08 of ITC (HS), 2017 – Schedule – 1 (Import Policy) as under:

| Exim Code | Item Description | Policy | Policy Condition | Revised Policy Condition |
|------------|------------------|--------|---|-----------------------------|
| 0808 10 00 | Apples | | (i) Import through both sea ports and airports in Kolkata, Chennai, Mumbai & Cochin; and land port & airport in Delhi. (ii) Import of apples is also allowed through India's land borders. | Nil |

2. **Effect of this Notification**: Port restriction for import of apples covered under EXIM Code 0808 10 00 is hereby removed.

[F. No. 01/89/180/79/AM-99/PC-2(A) / E - 1863]

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade